दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 30 जुलाई, 2024
उद्घोषित्: 11 सितंबर,2024

<u>आप.वि.वा. 5329/2024 और आप.वि.आ. 20393/2024</u>

रूपी बब्बर .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री कपिल मदान, श्री गुरमुख सिंह अरोड़ा और श्री वंश बजाज, अधिवक्तागण।

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री प्रदीप गहलोत, राज्य के लिए अति.लो.अभि., सह सुश्री प्राची बहल, श्री वरुण गुप्ता, सुश्री रितु शर्मा और श्री गौरव कौशिक, अधिवक्तागण सह उप.नि. मीना मलिक, पु.था. मौर्या इंकलेव

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश दयाल

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. अनीश दयाल</u>

1. यह याचिका पुलिस थाना ["***पु.था.***"] मौर्य एन्क्लेव में दर्ज प्राथमिकी संख्या 515/2021 से उत्पन्न मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश -01 (पोक्सो), उत्तर पश्चिम/रोहिणी ["***विद्वान अति.स.न्या.***"] द्वारा पारित दिनांक 02 मई 2024 के आदेश ["***आक्षेपित आदेश***"] को चुनौती देते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("***दं.प्र.सं.***"] की धारा 482 के तहत दायर की गई है। आक्षेपित आदेश के माध्यम से, विद्वान अति.स.न्या. ने अन्य बातों के साथ-साथ याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 19(1) पोक्सो के तहत आरोप विरचित किए, जो धारा 21 पोक्सो के तहत दंडनीय है।

2. प्राथमिकी शिकायतकर्ता/अभियोक्त्री (*यहां याचिकाकर्ता की बेटी*) की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जो कथित अपराध के समय 16 वर्ष की नाबालिग लड़की थी। प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता, 1860 ["***भा.दं.सं.***"] की धारा 354, 354क, 377, 323 और 376 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 ["***पोक्सो***"] की धारा 6 और 10 के अंतर्गत दर्ज की गई थी।

3. अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा 22 अगस्त 2022 को प्रस्तुत आवेदन पर, अभियोक्त्री की मां अर्थात याचिकाकर्ता रूपी बब्बर को विचारण न्यायालय में बुलाया गया, जिसके बाद उनकी बेटी/अभियोक्त्री के विरुद्ध अपराधों की

रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए उनके विरुद्ध पोक्सो की धारा 21, के अंतर्गत आरोप विरचित करते हुए, आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

<u>प्राथमिकी में आरोप</u>

4. अभियोक्त्री ने आरोप लगाया था कि वह अपनी मां, याचिकाकर्ता के साथ मार्च 2021 से किराए के मकान में रह रही थी, इससे पहले वह अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली के पीतमपुरा में अपने दादा-दादी के घर पर रह रही थी।

5. जब अभियोक्त्री 7वीं कक्षा में थी, तो उसके पिता [“***अभियुक्त***”] ने उसे अनुचित तरीके से छुआ; उसके पीछे बाथरूम तक गए, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, और आधे घंटे बाद उसे खोला ताकि वह उसके बारे में शिकायत न कर सके। एक बार जब वह शौचालय जा रही थी तो उसके पिता ने उसे पीछे से पकड़ लिया, उसके गुप्तांगों को छुआ और उसमें अपनी उंगली डालने की कोशिश की। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके पिता ने उसे मोबाइल फोन पर पोर्नोग्राफी भी दिखाई थी। अभियुक्त का अनुचित व्यवहार जारी रहा। उसने अपनी मां को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद उसके माता-पिता के बीच झगड़ा हो गया। बाद में उसने आरोप लगाया कि उसके पिता ने कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया और उसके साथ मारपीट भी की।

6. इसके अलावा, पिता ने कथित तौर पर याचिकाकर्ता को धमकी दी कि अगर अभियोक्त्री ने किसी से शिकायत की तो वह याचिकाकर्ता को पीटेगा,

ताकि उस पर नजर रखी जा सके। यह भी कहा गया है कि अभियुक्त/पति ने याचिकाकर्ता की बेरहमी से पिटाई की तथा कथित घटना की रिपोर्ट करने पर उसे धमकी दी।

7. उसने आगे शिकायत की कि उसके पिता ने उसकी मां के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए तथा यह भी आरोप लगाया कि उसकी दादी ने भी याचिकाकर्ता की पिटाई की थी।

8. इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, उसके मामा आये और उसे, याचिकाकर्ता और उसके छोटे भाई को कानपुर ले गये, जिसके बाद उन्होंने वर्तमान मामला दर्ज कराया।

<u>जांच और विचारण न्यायालय की कार्यवाही</u>

9. जांच के दौरान, अभियोक्त्री ने दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत बयान दिया जिसमें उसने अपने पहले के बयान का समर्थन किया। तदनुसार, भा.दं.सं. की धारा 323 और 376 तथा पोक्सो की धारा 6 भी जोड़ी गई।

10. याचिकाकर्ता ने भी स्वयं की जांच की और दं.प्र.सं. की धारा 164, के अंतर्गत अपना बयान दर्ज किया, जहां उसने कहा कि उसका विवाह 2003 में राजीव बब्बर से हुआ था और विवाह से दो बच्चे पैदा हुए थे; उसे पता चला कि उसके पति ने कई बार उसकी बेटी/अभियोक्त्री के साथ छेड़छाड़ की, जहां बेटी ने याचिकाकर्ता को घटनाओं के बारे में बताया।

11. याचिकाकर्ता का बयान दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज किया गया और उसने अपने बयान की पुष्टि की, जहां उसने आरोप लगाया कि उसका पति अपने फोन पर अश्लील वीडियो देखता था और बाद में, उसे पता चला कि उसने अपनी बेटी को अश्लील वीडियो दिखाए और उसके साथ छेड़छाड़ भी की। उन्होंने आगे कहा कि वह अपनी बेटी को मदद दिलाने के लिए 05 जून 2021 को मनोचिकित्सक के पास ले गईं और उसके बाद 06 जून 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई।

12. अभियुक्त राजीव बब्बर को 07 जून 2021 को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 15 जून 2021, को अभियुक्त को विद्वान अति.स.न्या. द्वारा जमानत दे दी गई।

13. अभियोक्त्री का आयु प्रमाण प्राप्त कर लिया गया है और रिकार्ड के अनुसार उसकी जन्मतिथि 22 नवम्बर 2004 है।

14. अभियुक्त राजीव बब्बर के अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता को 22 अगस्त 2024 को अभियुक्त के रूप में बुलाने के लिए आवेदन दायर किया। 22 मार्च 2023 को, विद्वान अति.स.न्या. ने याचिकाकर्ता, पीड़िता की मां को समन जारी करते हुए कहा कि अपराध की रिपोर्ट करने में देरी हुई क्योंकि घटना की रिपोर्ट जून, 2021 तक नहीं की गई थी और 02 मई, 2024 को विद्वान अति.स.न्या.

ने याचिकाकर्ता के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 21 के तहत आरोप विरचित किए।

<u>वर्तमान याचिका में चुनौती</u>

15. यह पुनरीक्षण याचिका, अभियुक्त/पिता द्वारा अभियोक्त्री/बेटी के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रिपोर्ट करने में कथित रूप से विफल रहने के कारण, याचिकाकर्ता (*अभियोक्त्री की मां*) के विरुद्ध धारा 21, पोक्सो के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने के संबंध में, आक्षेपित आदेश को चुनौती देती है।

<u>पक्षकारगण की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

16. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि पूरा मामला याचिकाकर्ता और उसके पति यानी अभियुक्त के बीच वैवाहिक कलह की पृष्ठभूमि में उत्पन्न हुआ है और पति द्वारा याचिकाकर्ता और बेटी को अत्यधिक प्रताड़ित किया गया है। यह याचिकाकर्ता ही थी जो मामले की रिपोर्ट पुलिस को करने के लिए अभियोक्त्री को पुलिस के पास लेकर गई थी, दोनों ने अभियुक्त के हाथों अत्यंत घृणत आचरण का सामना किया था।

17. न केवल बेटी, बल्कि याचिकाकर्ता स्वयं भी गंभीर दुर्व्यवहार का शिकार थी; उन्हें पति द्वारा लगातार धमकी दी जाती थी। अपनी जान और सुरक्षा की गंभीर धमकी के कारण उनमें पहले पुलिस के पास आने का साहस नहीं था।

18. मूलतः, यह प्रस्तुत किया गया कि पोक्सो धारा 21 का प्रावधान ऐसी स्थिति पर लागू नहीं हो सकता, जहां मां और बेटी दोनों ही पति द्वारा गंभीर दुर्व्यवहार की शिकार हों और दोनों ने अपने बयानों की पुष्टि की हो। यह स्पष्ट है कि उन्होंने वैवाहिक घर से निकलने के बाद ही पुलिस को मामले की सूचना देने का साहस जुटाया।

19. किसी भी स्थिति में, यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता की ओर से रिपोर्ट करने में कोई विफलता नहीं हुई, बल्कि अधिक से अधिक देरी हुई। इस संबंध में, ***जसविंदर कौर एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य*** 2024:डीएचसी:3677 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पोक्सो की धारा 21 "रिपोर्ट करने में विफलता" के लिए दंड का प्रावधान करती है न कि "रिपोर्ट करने में देरी" के लिए।

20. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि ***सबसे पहले,*** 22 मार्च 2023 का समन आदेश अभियुक्त राजीव बब्बर द्वारा इस आधार पर दायर आवेदन पर पारित किया गया था कि पीड़िता द्वारा अपनी मां को बताने के बावजूद, वह इतने सालों तक चुप रही; ***दूसरा,*** पीड़ित बच्चे और याचिकाकर्ता दोनों द्वारा पति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, यह अस्वीकार्य है कि याचिकाकर्ता को अभियुक्त के कहने पर धारा 21 पोक्सो के अंतर्गत समन भेजा गया, जिसने यह निराधार आवेदन प्रस्तुत किया था;

तीसरा, विद्वान अति.स.न्या. ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि याचिकाकर्ता स्वयं अपने बच्चे को 05 जून 2021 को बाल मनोचिकित्सक के पास ले गई थी, पीड़ित बच्ची और खुद के पूरी तरह से टूटकर बिखर जाने के बाद, वह उसे अगली सुबह पुलिस थाने ले गई; थी; ***चौथा,*** याचिकाकर्ता और अभियोक्त्री दोनों ने दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत अपने बयान दर्ज किए जहां उन्होंने इन तथ्यों को दोहराया, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है; ***पांचवां,*** पोक्सो धारा 19 में किसी अपराध की रिपोर्ट करने के लिए कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है; ***छठा,*** 16 अक्टूबर 2018 को, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि बच्चों के विरूद्ध यौन अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है; ***सातवां,*** यह याचिकाकर्ता ही थी जिसने अपने दायित्वों को विधिवत पूरा किया और पति द्वारा स्वयं और बच्चे को यौन और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के बावजूद, पीड़ित बच्चे को पूर्ण समर्थन प्रदान किया; ***आठवां,*** विद्वान अति.स.न्या. ने मां और बेटी के गंभीर आघात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जिससे वह गुजरी थी, और इसके बजाय अभियुक्त के कहने पर उन्हें बुलाने की मांग की और पोक्सो की धारा 21 के तहत आरोप विरचित किए।

<u>विश्लेषण</u>

21. जब मामला पहली बार 15 जुलाई 2024 को इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, तो परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभियोक्त्री

(*अब वयस्क*) के कथन को ध्यान में रखना उचित समझा गया था। उसे 30 जुलाई 2024 को उपस्थित होने के लिए कहा गया था। उस दिन, न्यायालय ने उसके साथ (*आरोपों की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए*) चैंबर में बातचीत की, साथ ही याचिकाकर्ता, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक [“***अति.लो.अभि.***”] के साथ भी बातचीत की।

22. अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन करने के अतिरिक्त, इस न्यायालय को अभियोक्त्री के साथ-साथ याचिकाकर्ता से भी बातचीत करने का अवसर मिला, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। बातचीत का पूरा विवरण प्रस्तुत किए बिना भी यह स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता की ओर से उक्त अपराधों की रिपोर्ट करने में देरी का कारण उसकी स्वयं की जान को खतरा था। अभियोक्त्री के अनुसार, उसने सबसे पहले अपने दादा और दादी को दुर्व्यवहार के तथ्य के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसकी रिपोर्ट नहीं की और फिर उन्होंने पीड़िता को यह विश्वास दिला दिया कि ये कृत्य गलत नहीं थे।

23. जब बच्ची मनोचिकित्सक के सामने टूट गई और उसने अपने पिता द्वारा यौन शोषण का घिनौना विवरण सुनाया, तब याचिकाकर्ता को एहसास हुआ कि यह ऐसा मामला है जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जानी चाहिए और पति और उसके परिवार की गंभीर धमकियों को नजरअंदाज करते हुए उसने तुरंत ऐसा किया।

24. यह एक क्लासिक मामला है, जहां एक कानूनी प्रावधान को लागू करके पीड़िता स्वयं ही अभियुक्त बन गई है, जो मामले के पृष्ठभूमि तथ्यों और परिस्थितियों से पूरी तरह से अछूती है। एक मां पर उसके अपने पति द्वारा बच्चे पर किए गए यौन अपराध की रिपोर्ट करने में देरी के लिए वाद चलाने की मांग की गई है, जबकि तथ्य यह है कि मां स्वयं अपने वैवाहिक घर में कथित रूप से गंभीर यौन व अन्य दुर्व्यवहार की शिकार थी।

25. शिकायत में मां और बच्चे दोनों द्वारा दी गई कहानी, तथा विद्वान अति.स.न्या. के समक्ष दर्ज दं.प्र.सं. की धारा 164 के बयान, उस घर की घिनौनी और भ्रष्ट स्थिति की ओर इशारा करते हैं, जहां पति द्वारा लगातार दुर्व्यवहार किया जाता था। इस संदर्भ में, इस संभावना को ध्यान में रखना असंभव नहीं है कि रिपोर्ट करने में देरी केवल इसलिए हुई क्योंकि मां और बच्चा दोनों ही लंबे समय से गंभीर और अत्यधिक आघात में रह रहे थे, और उन पर आगे भी शारीरिक और यौन शोषण का खतरा मंडरा रहा था, और वे पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट करने का साहस, अवसर या बल नहीं जुटा सके।

26. संदर्भ में आसानी के लिए, पोक्सो की धारा 19 और 21 का मूल पाठ निम्नानुसार है:

> ***19. अपराधों की रिपोर्ट करना***
>
> *(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति (जिसके अंतर्गत बालक भी है)*

जिसको यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है या यह जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, वह निम्नलिखित को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा :-

(क) विशेष किशोर पुलिस यूनिट; या

(ख) स्थानीय पुलिस ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई प्रत्येक रिपोर्ट में-

(क) एक प्रविष्टि संख्या अंकित होगी और लेखबद्ध की जाएगी;

(ख) सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी;

(ग) पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्ट की जाएगी।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट बालक द्वारा दी गई है, उसे उपधारा (2) के अधीन सरल भाषा में अभिलिखित किया जाएगा जिससे बालक अभिलिखित की जा रही अंतर्वस्तुओं को समझ सके ।

(4) यदि बालक द्वारा नहीं समझी जाने वाली भाषा में अंतर्वस्तु अभिलिखित की जा रही है या बालक यदि वह उसको समझने में असफल रहता है तो कोई अनुवादक या कोई दुभाषिया जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, जब कभी आवश्यक समझा जाए, उपलब्ध कराया जाएगा ।

(5) जहां विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो जाता है कि उस बालक को, जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तब रिपोर्ट के चौबीस घंटे के भीतर कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् उसको यथाविहित ऐसी देखरेख और संरक्षण में (जिसके अंतर्गत बालक को संरक्षण

गृह या निकटतम अस्पताल में भर्ती किया जाना भी है) रखने की तुरन्त व्यवस्था करेगी ।

(6) विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस अनावश्यक देरी के बिना किन्तु चौबीस घंटे की अवधि के भीतर मामले को बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय या जहां कोई विशेष न्यायालय पदाभिहित नहीं किया गया है वहां सेशन न्यायालय को रिपोर्ट करेगी, जिसके अंतर्गत बालक की देखभाल और संरक्षण के लिए आवश्यकता और इस संबंध में किए गए उपाय भी हैं।

(7) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक दी गई जानकारी के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सिविल या दांडिक कोई दायित्व उपगत नहीं होगा।

....

21. मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड

(1) कोई व्यक्ति जो धारा 19 की उपधारा (1) या धारा 20 *के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा या जो धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहेगा, वह किसी भी भांति के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।*

(2) किसी कंपनी या किसी संस्था (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो) का भारसाधक कोई व्यक्ति जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध में धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

27. पोक्सो धारा 21 के अंतर्गत याचिकाकर्ता के विरुद्ध 'आरोप' के औचित्य को निर्धारित करने के लिए, सबसे पहले पोक्सो अधिनियम को लागू करते समय विधायिका की मंशा को देखना उचित होगा, साथ ही अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यकताओं सहित इसके आसपास की चर्चा को भी देखना होगा।

28. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण विधेयक, 2011 [“***पोक्सो विधेयक***”] पर मानव संसाधन विकास पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 240वीं रिपोर्ट [***“240वीं संसदीय रिपोर्ट”***] के प्रासंगिक अंश, जिसमें पोक्सो विधेयक [अब पोक्सो अधिनियम की धारा 21] के प्रस्तावित खंड 21 पर चर्चा की गई है, निम्नानुसार उद्धृत हैं:

> *"10.2 बाल शोषण मामलों की रिपोर्टिंग के अनिवार्य पहलू पर हितधारकों द्वारा कड़ी आपत्तियां उठाई गईं। समिति को यह समझाया गया कि सामाजिक कलंक, दुर्व्यवहारकर्ता के साथ बच्चे का भावनात्मक लगाव आदि के कारण अधिकांश मामलों में दुर्व्यवहार की रिपोर्ट दर्ज कराना उचित नहीं समझा जाता। यह तर्क दिया गया कि भारत में बाल शोषण पर जागरूकता की कमी है। सामाजिक कलंक, सामुदायिक दबाव, आपराधिक न्याय प्रणाली में कठिनाइयों, भावनात्मक और आर्थिक रूप से अपराधी पर पूर्ण निर्भरता, सहायता प्रणालियों तक पहुंच की कमी आदि जैसे कारकों ने बच्चों और उनके परिवारों को कानूनी प्रणाली के भीतर निवारण की मांग करने से रोक दिया। कुछ हितधारकों ने इस खंड को पूरी तरह से हटाने का सुझाव दिया।*

10.3 <u>समिति का दृढ़ मत है कि जमीनी स्तर पर विद्यमान स्थिति को देखते हुए, ऐसी सार्वभौमिक अनिवार्य रिपोर्टिंग को व्यावहारिक नहीं माना जा सकता। यह स्वयं बाल पीड़ितों के लिए प्रतिकूल परिणामकारी हो सकता है।</u> उदाहरण के लिए, यदि माता-पिता बच्चे को सामाजिक कलंक से बचाने के लिए मामले की सूचना पुलिस को नहीं देते हैं, तो वे पीड़ित के लिए चिकित्सा सहायता लेने में भी गंभीर रूप से असमर्थ हो जाएंगे।"

(जोर दिया गया)

29. पोक्सो के अध्याय 5 में मामलों की रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि धारा 19 में ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा अपराध की रिपोर्टिंग का प्रावधान है, जिसे यह आशंका हो कि कोई अपराध होने की संभावना है या उसे इस बात की जानकारी हो कि ऐसा कोई अपराध हुआ है। धारा 20 मीडिया स्टूडियो और फोटोग्राफिक सुविधाओं को भी ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य करती है।इसलिए, धारा 21, अन्य बातों के साथ-साथ, पोक्सो की धारा 19 (1) या धारा 20 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा अपराध की रिपोर्ट करने में विफलता पर आधारित है। यह स्पष्ट रूप से उन घटनाओं की रिपोर्टिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए है, जहां किसी को बाल शोषण के बारे में पता चलता है और धारा 21 एक निवारक प्रदान करती है।

30. इस मामले में, इस तथ्य को ध्यान में न रखना कि मां स्वयं यौन शोषण की शिकार थी, अपने इकलौते बच्चे की देखभाल नहीं करती थी और

किसी दुर्भावनापूर्ण कारण से, अपने बच्चे द्वारा बताए गए अपराधों की रिपोर्ट नहीं करती थी, सरासर अन्याय होगा।

प्रासंगिक न्यायिक पूर्व निर्णय

31. न्यायालयों ने विभिन्न अवसरों पर, विशेषकर घर के भीतर होने वाले यौन अपराधों के मामलों में, इस बात को स्वीकार किया है तथा शिकायत दर्ज करने या प्राथमिकी दर्ज करने में होने वाले देरी जैसे मुद्दों को भी समायोजित किया है।

32. घर के भीतर होने वाला यौन शोषण, जहां अपराधी पति या पुरुष होता है, जो घर पर हावी होना चाहता है, सबसे जघन्य और पतित हो सकता है। महिला पीड़ित तब अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए डर के साये में रहती हैं।

33. पोक्सो की धारा 21, प्रत्यक्षतः "रिपोर्ट करने में विफलता" पर आधारित है न कि "रिपोर्ट करने में देरी" पर। इस संबंध में, ***जसविंदर सिंह*** *(पूर्वोक्त)* मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ की टिप्पणियां शिक्षाप्रद हैं; प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत हैं:

> "***22.*** *जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी संख्या 2 ने शिकायत दर्ज कराई थी जिसके आधार पर वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई थी, आरोप पत्र दायर किया गया था और अभियोजन पक्ष का साक्ष्य पूर्ण*

है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा शिकायत दर्ज कराने में की गई देरी को विचारण के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा बचाव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. द्वारा, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की सहायता से, यह बताया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 और उत्तरजीवी द्वारा अपनी गवाही के दौरान देरी को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

23. यह न्यायालय इस मुद्दे पर विचार नहीं कर रहा है कि उक्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद था या नहीं, क्योंकि इसका निर्धारण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना है, यदि विचारण के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा बचाव किया जाता है। <u>इस याचिका के प्रयोजन के लिए, यह कहना पर्याप्त है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर की गई शिकायत अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत उत्तरार्द्ध का मामला नहीं लाएगी, जिसमें "रिपोर्ट करने में विफलता" के लिए दंड का प्रावधान है। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना दी है, जिसके अनुसरण में वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई है।"</u>

(जोर दिया गया)

34. उन मामलों के साथ समानताएं और अंतर करना उचित होगा जिनमें धारा 21 पोक्सो के तहत आरोप या दोषसिद्धि पर विचार किया जाता है। ***सुरजीत खन्ना बनाम हरियाणा राज्य*** 2024:पीएचएचसी:023004 में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

*"**9.** इस मामले में, 23.09.2021 का ईमेल (2023 के सीआरएम-एम-44425 में अनुलग्नक आर-2/7), जिस पर मां-एक्स ने यह तर्क देने के लिए भरोसा किया है कि उसने स्कूल अधिकारियों को मृत बच्चे के साथ बदमाशी/यौन उत्पीड़न आदि के बारे में सूचित किया था, यह स्पष्ट करेगा कि जब स्कूल अधिकारियों को जानकारी दी गई थी, उससे काफी पहले ही माँ-एक्स को पोक्सो अधिनियम के तहत हुए अपराधों के बारे में जानकारी थी। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, पोक्सो अधिनियम की धारा 19 के अनुसार मां को स्थानीय पुलिस या एसजेपीयू को सूचित करना अनिवार्य है।*

10. मां-एक्सएक्स के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क कि मां ने स्कूल की बाल संरक्षण नीति के अनुसार 23.9.2021 को ईमेल के माध्यम से स्कूल अधिकारियों को सूचित करके अपना कर्तव्य निभाया, इस स्तर पर कोई आधार नहीं रखता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वैधानिक प्रावधान स्कूल की बाल संरक्षण नीति के तहत दिए गए दिशानिर्देशों पर अभिभावी होंगे और उन पर वरीयता रखेंगे। इन परिस्थितियों में, आवेदन को अभिखंडित करने के लिए माँ-एएक्सएक्स द्वारा प्रस्तुत याचिका में कोई गुणागुण नहीं है।

...

***12.** पोक्सो अधिनियम की धारा 21 के साथ पठित धारा **19** के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रिंसिपल द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वयं खराब है, यह संबंधित न्यायालय पर निर्भर करेगा कि वह आवेदन पर विवेकपूर्ण विचार करते हुए यह निर्णय ले कि मां को प्रस्तावित अभियुक्त के रूप में बुलाया जाए या नहीं, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदन को न तो धारा 319 सीआरपीसी के तहत और न ही धारा 190 सहपठित*

धारा 193 सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया माना जा सकता है। अधिकतम, आवेदन को पोक्सो अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत माना जा सकता है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 319 और 193 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 33 के दायरे में स्पष्ट अंतर है।

...

28. इस न्यायालय को उपरोक्त तर्क में कोई गुणागुण नहीं दिखता। <u>प्रत्येक मामले के अपने तथ्य और परिस्थितियां होती हैं, जो संबंधित न्यायालय को तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, कानून द्वारा वर्जित न होने वाली प्रक्रिया अपनाने के लिए बाध्य कर सकती हैं।</u> निःसंदेह यह सही है कि पोक्सो अधिनियम की धारा 33 *या सीआरपीसी की धारा* 193 *में प्रस्तावित अभियुक्त को नोटिस देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन साथ ही किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में नोटिस देने पर कोई रोक नहीं है। आमतौर पर, न्यायालय को ऐसा कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वर्तमान मामले में, प्रस्तावित अभियुक्त अर्थात मां-एएक्सएक्स ही प्राथमिकी की शिकायतकर्ता है। <u>वह भी पीड़ित है, क्योंकि वह मृत बच्चे की मां है। जैसा कि विशेष न्यायालय के दिनांक 18.07.2023 के आक्षेपित आदेश से स्पष्ट है, प्रस्तावित अभियुक्त अर्थात मां, प्राथमिकी की शिकायतकर्ता/पीड़िता की हैसियत से आवेदन प्रस्तुत किए जाने के समय अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित थी।</u>*

***29.** उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, यदि विशेष न्यायालय का यह विचार था कि मामले की पीड़ित होने के नाते मां को आवेदन पर निर्णय लेने से पहले सुना जाना चाहिए, तो यह न्यायालय इसे अवैधता या अनियमितता नहीं मानता है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि अब*

तक, आवेदन पर संबंधित न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है और केवल आवेदन का नोटिस प्रस्तावित अभियुक्त अर्थात प्राथमिकी की शिकायतकर्ता - मां 'एक्सएक्स' को दिया गया है। न्यायालय को अभी भी कानून के अनुसार अपने न्यायिक विवेक से आवेदन पर निर्णय लेना है। परिणामस्वरूप, इस न्यायालय को प्रिंसिपल श्रीमती सुरजीत खन्ना द्वारा दायर याचिका सीआरएम-एम-36154-2023 में कोई गुणागुण नहीं दिखता है।"

(ज़ोर दिया गया)

35. इस प्रकार, ***सुरजीत खन्ना*** (*पूर्वोक्त*) में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि पीड़िता की मां को घटनाओं की रिपोर्ट करने की अनिवार्यता से छूट नहीं है; हालांकि, इस तथ्य के मद्देनजर कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई थी, न्यायालय को उक्त देरी के कारणों पर मां की बात सुननी होगी और उसके बाद यह निष्कर्ष निकालने के लिए अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना होगा कि उक्त देरी उचित थी या नहीं।

36. सामान्यतः यौन अपराधों में प्राथमिकी दर्ज करने में होने वाली देरी के संबंध में, न्यायालयों ने उक्त देरी से प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने से पहले विभिन्न कारकों पर विचार करने का ध्यान रखा है। ***तुलसीदास कनोलकर बनाम गोवा राज्य*** (2003) 8 एससीसी 590 में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"***5.*** *सबसे पहले हम देरी के प्रश्न पर विचार करेंगे। असामान्य परिस्थितियों ने प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज करने में हुई देरी को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट किया। किसी भी*

स्थिति में, जब बलात्कार का आरोप शामिल हो तो देरी अभियुक्त के लिए कोई राहत देने वाली परिस्थिति नहीं है। प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में देरी को अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने और उसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने के लिए एक औपचारिक माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इससे न्यायालय को यह देखने और विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण दिया गया है या नहीं। एक बार स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए तो न्यायालय को केवल यह देखना है कि यह संतोषजनक है या नहीं। किसी मामले में यदि अभियोजन पक्ष देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है और ऐसी देरी के कारण अभियोजन पक्ष के कथन में अलंकरण या अतिशयोक्ति की सम्भावना हो, तो यह एक सुसंगत कारक है। दूसरी ओर, देरी का संतोषजनक स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष के मामले की झूठी संलिप्तता या कमजोरी की दलील को खारिज करने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि तथ्यात्मक परिदृश्य से पता चलता है, पीड़िता को अपने साथ घटी घटना के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। ऐसा होने पर, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में देरी किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के बयान को कमजोर नहीं बनाती है।"

(ज़ोर दिया गया)

37. ***महाराष्ट्र राज्य बनाम सावला सागू*** *1997 आप. एलजे 786 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक अभियोक्त्री की मनःस्थिति, जो यौन अपराध की शिकार*

हुई है, तथा उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न आघात के संभावित परिणामों पर विचार करने का प्रयास किया। ऐसा करते समय, यह टिप्पणी की गई कि:

> *"**36.** हमें श्रीमती पवार के तर्क में पर्याप्त गुणागुण नजर आता है। हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि कोई भी अविवाहित लड़की अपनी शर्मीली प्रकृति के कारण तथा इस परिस्थिति के कारण कि न केवल उसकी अपनी बल्कि उसके परिवार की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, अपने बलात्कार के दर्दनाक अनुभव को पुलिस के सामने बताने में अत्यंत अनिच्छुक और अप्रसन्न होगी। समय बीतने के बाद, जब वह अपने आघात से उबर पाएगी, तभी वह प्राथमिकी दर्ज कराने के बारे में सोचेगी। हमारा विचार है कि बलात्कार के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने की कोई संख्यात्मक समय-सीमा तय नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों में न्यायालयों को अकल्पनीय और सैद्धांतिक दृष्टिकोण के बजाय यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आखिरकार, जीवन में हमारा आचरण वास्तविकताओं द्वारा नियंत्रित होता है।"*
>
> (ज़ोर दिया गया)

38. यद्यपि वर्तमान मामले में, तथ्य पूर्वोक्त उदाहरणों से भिन्न हैं, फिर भी यह न्यायालय न केवल अभियोक्त्री, जो कि पिता के भय से पीड़ित एक बच्ची है, की मानसिकता को ध्यान में रखना समीचीन, उचित और आवश्यक समझता है, बल्कि माता की मानसिकता को भी ध्यान में रखना समीचीन और आवश्यक समझता है, जो स्वयं अपने पति/अभियुक्त के अधीन है।

39. कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष ***श्रीकांत शर्मा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य*** 2023 एससीसी ऑनलाइन कैल 1961 में, प्राथमिकी दर्ज करने में 2 साल की देरी हुई थी। धारा 21 के तहत आरोपों पर विचार करते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "***16.*** *अभियोजन पक्ष का तर्क है कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि जब पीड़िता ने अपने पिता को अपने अभियुक्त चाचा की गतिविधियों के बारे में बताया तो उसके पिता ने उस पर यकीन नहीं किया। वर्ष 2018 में रक्षाबंधन के त्यौहार के दौरान जैसे ही पहली घटना घटी, उसने बिना देर किए अपने पिता को इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने पीड़िता पर झूठा होने का आरोप लगाया। परिणामस्वरूप, जब दिवाली, 2019 के बाद उसके साथ फिर से मारपीट (छेड़छाड़) की गई, तो उसने अपने पिता को कुछ नहीं बताया। इसके अलावा, उसने अपनी मां को भी इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह लंबे समय से वैवाहिक विवादों से गुजर रही थी और वह खुद भी घरेलू हिंसा की शिकार थी। लेकिन अंततः जब पीड़िता ने अपने भाई को सारी बात बताई और वे दोनों अपने पिता से इसका सामना करने गए, तो पिता ने अपने बेटे के साथ मारपीट की और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। जब वे शिकायत करने गए तो उन्हें पुलिस थाने में भी काफी देर तक बैठाए रखा गया तथा वहां भी उन्हें धमकाया गया। इस घटना के बाद, उनके ही पिता ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने अपनी मां को इस बारे में तभी बताया जब उसने अपने ससुराल लौटने का निर्णय किया क्योंकि समझौता ज्ञापन किसी तार्किक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका था। उसने अपनी मां को यह बात बताई क्योंकि उसे डर था कि उसे उसी*

जगह वापस जाना पड़ेगा जहां उसके साथ दो बार मारपीट की गई थी। इसलिए, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के पर्याप्त कारण हैं।"

(ज़ोर दिया गया)

40. इस न्यायालय ने अभियोक्त्री, जो अब वयस्क हो चुकी है, के साथ बातचीत की थी, और बातचीत से यह स्पष्ट था कि उसकी सुरक्षा और संरक्षण का एकमात्र स्रोत उसकी मां थी, जो स्वयं अभियुक्त/पिता द्वारा गंभीर यौन शोषण की शिकार थी। युवा लड़की जो कुछ भी साझा करती थी उसमें स्पष्ट और सशक्त थी। प्राथमिकी संख्या 515/2021 में मुकदमे की कार्यवाही को प्रभावित किए बिना, जहां पति अभियुक्त है, न्यायालय की सुविचारित राय तथा तथ्यों और परिस्थितियों के मूल्यांकन के आधार पर, पोक्सो की धारा 21 के तहत मां पर मुकदमा चलाने का कोई कारण नहीं होना चाहिए।

41. इस संदर्भ में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 2018 को 18:33 आईएसटी पर प्रेस सूचना ब्यूरो की वेबसाइट पर जारी प्रेस विज्ञप्ति का भी उल्लेख किया जा सकता है, जो इस प्रकार है:

"बाल यौन शोषण का शिकार व्यक्ति अपनी वर्तमान आयु की परवाह किए बिना किसी भी समय शिकायत दर्ज करा सकता है: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के प्रावधानों को अन्य आपराधिक कानूनों पर अभिभावी होने तथा ऐसे अपराधों की अनिवार्य रिपोर्टिंग के प्रावधानों के मद्देनजर विधि मंत्रालय से परामर्श किया था। विधि मंत्रालय ने पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों की तुलना सीआरपीसी के प्रावधानों से करने के बाद सलाह दी है कि पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत अपराधों की रिपोर्ट करने के संबंध में धारा 19 में कोई सीमा अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है। पोक्सो अधिनियम में बाल यौन अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए किसी समय-सीमा का प्रावधान नहीं है। विधि मंत्रालय की राय प्राप्त होने पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने कहा कि "अब कोई भी पीड़ित, किसी भी उम्र में, अपने साथ बचपन में हुए यौन शोषण की शिकायत कर सकता है"। उन्होंने पीड़ितों से पोक्सो ई-बॉक्स के माध्यम से मामले की रिपोर्ट करने का आग्रह किया।

अक्सर, बच्चे ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि अधिकांश मामलों में अपराधी या तो परिवार का सदस्य, रिश्तेदार या निकट परिचित व्यक्ति होता है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि बच्चे यौन शोषण के आघात को जीवन के बहुत बाद तक झेलते रहते हैं। इस आघात से उबरने के लिए कई वयस्क लोगों ने अपने साथ बचपन में हुए दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो), 2012, 14.11.2012 को लागू हुआ। यह एक लैंगिक तटस्थ अधिनियम है जिसे बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से

बचाने के लिए कानूनी प्रावधानों को मजबूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना गया है तथा 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन छेड़छाड़ और पोर्नोग्राफी के अपराधों से सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ज़ोर दिया गया)

एक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

42. अनिवार्य रिपोर्टिंग के उद्देश्य और संदर्भ को समझने के लिए, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय न्यायशास्त्र का संदर्भ लेना, शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए ही सही, शिक्षाप्रद हो सकता है।

43. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 नवम्बर 1989 को अपनाए गए तथा भारत द्वारा 1992 में अनुसमर्थित ***बाल अधिकार सम्मेलन*** में राज्य सरकारों से निम्नलिखित को रोकने के लिए उपाय करने की अपेक्षा की गई है::

क. किसी बच्चे को किसी गैरकानूनी यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रेरित करना या मजबूर करना

ख. वेश्यावृत्ति या किसी अन्य गैरकानूनी यौन व्यवहार में बच्चों का शोषणकारी उपयोग

ग. अश्लील प्रदर्शनों और सामग्रियों में बच्चों का शोषणकारी उपयोग।

44. जबकि अधिकांश क्षेत्राधिकारों में केवल रिपोर्ट न करने और देरी न करने के लिए दिशानिर्देश हैं, फिर भी इसके परिणाम अलग-अलग देशों में अलग-अलग होते हैं। बच्चे के प्रति देखभाल का कर्तव्य सभी राष्ट्रमंडल क्षेत्राधिकारों में मौजूद है। यदि वह यौन दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने में विफल रहती है, तो देखभाल के कर्तव्य का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि वह पूर्वानुमानित और महत्वपूर्ण क्षति से बचने के लिए उचित व्यावहारिक कदम उठाने में विफल रहती है। हालाँकि, यह देखते हुए कि माँ भी एक पीड़ित थी, रिपोर्ट करने की आवश्यकता उचित व्यावहारिक कदम के अंतर्गत नहीं आ सकती है। टोर्ट कानून पारंपरिक रूप से रिपोर्ट करने में विफलता को माफ कर देता है, इसलिए रिपोर्टिंग मौजूद होने पर देरी को भी माफ कर दिया जाएगा।

45. कई आस्ट्रेलियाई क्षेत्राधिकारों में अनिवार्य रिपोर्टिंग का प्रावधान मौजूद है, लेकिन अनिवार्य रिपोर्टरों को परिभाषित किया गया है, जिसमें माता-पिता को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि उन व्यवसायों को शामिल किया गया है जो बच्चों के संपर्क में आते हैं। हालाँकि, एक स्वैच्छिक रिपोर्ट बनाई जा सकती है। यदि रिपोर्ट नहीं की गई तो मुकदमा चलने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। परिवार कानून अधिनियम 1975 में ऑस्ट्रेलिया के परिवार न्यायालय, ऑस्ट्रेलिया के संघीय सर्किट न्यायालय, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के परिवार न्यायालय और अन्य नामित व्यवसायी के कार्मिकों के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग कर्तव्य की परिकल्पना की गई है। इसमें सीईओ, वरिष्ठ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार

और उप रजिस्ट्रार, परिवार सलाहकार, परिवार परामर्शदाता, परिवार विवाद समाधान व्यवसायी, मध्यस्थ और बच्चों के हितों का स्वतंत्र रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता शामिल हैं।

46. संयुक्त राज्य अमेरिका में, बाल शोषण रोकथाम और उपचार अधिनियम, 2023 [“***सीएपीटीए***”] के तहत प्रत्येक राज्य को बाल शोषण और उपेक्षा की ज्ञात या संदिग्ध घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए प्रावधान या प्रक्रियाएं बनाने की आवश्यकता है, जिसमें उक्त घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों द्वारा अनिवार्य रिपोर्टिंग के लिए एक राज्य कानून भी शामिल है। 3 लगभग 46 राज्यों में निर्दिष्ट व्यवसायों के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग की आवश्यकता है - प्रत्येक राज्य निर्दिष्ट व्यवसायों को रेखांकित करने वाले कानूनों के संदर्भ में भिन्न है, लेकिन आमतौर पर इसमें स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता, शिक्षक, प्रधानाचार्य और अन्य स्कूल कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, कानून प्रवर्तन अधिकारी, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, बाल देखभाल प्रदाता, पादरी के सदस्य और चिकित्सा परीक्षक या कोरोनर शामिल हैं।

47. यूनाइटेड किंगडम में वैधानिक मार्गदर्शन तो है, लेकिन अनिवार्य रिपोर्टिंग की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है। यूके सरकार ने 2022-2024 में बाल यौन शोषण की अनिवार्य रिपोर्टिंग पर एक परामर्श दायर किया, जिसमें स्कूलों और विश्वास की स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों (देखभाल कर्मी, युवा न्याय कर्मचारी और अन्य के रूप में काम करने वाले लोग) आदि सहित

विभिन्न सुझावों का विवरण दिया गया।5 इसमें माता-पिता का उल्लेख नहीं है तथा अनिवार्य रिपोर्टिंग या रिपोर्टिंग में देरी के विरुद्ध कानून में कोई विशेष दंड मौजूद नहीं है।

48. कनाडाई क्षेत्राधिकार में, कनाडाई बाल कल्याण कानूनों के तहत "रिपोर्ट करने का कर्तव्य"6 के कारण प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाल यौन शोषण की रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

49. दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्राधिकार में, बाल अधिनियम 2005 की धारा 110 के अंतर्गत अनिवार्य रिपोर्टिंग कानून मौजूद है, जो निर्दिष्ट व्यवसायों की एक सूची निर्धारित करता है।.7 यौन अपराध अधिनियम, 1957 की धारा 54 (1) (क) के अनुसार यौन अपराध की रिपोर्ट तुरंत की जानी चाहिए।8

50. नाइजीरिया में, बाल यौन शोषण के लिए बाल अधिकार अधिनियम 2003 के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसके तहत बच्चे के साथ यौन संबंध बनाने पर आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है9 और अन्य प्रकार के यौन शोषण और शोषण के लिए चौदह साल तक की सज़ा दी जाती है10.इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बाल शोषण की रिपोर्ट न करने पर अनिवार्य रिपोर्टिंग या दंड का कोई उल्लेख नहीं है, तथापि, उक्त अधिनियम के अधिनियमन से बच्चों की सुरक्षा का कर्तव्य स्थापित होता है तथा सभी कार्यों में बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि माना जाता है।

51. फिलीपींस में, बाल शोषण को दुर्व्यवहार, शोषण और भेदभाव के विरुद्ध बच्चों का विशेष संरक्षण अधिनियम, 1991 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है। महिलाओं और उनके बच्चों के विरुद्ध हिंसा के विरुद्ध कानून, 2004 के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ बारंगाय अधिकारियों और कानून प्रवर्तकों12 तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं13 जैसे नामित व्यवसायों पर दायित्व डालता है। रिपोर्ट न करने पर अधिकतम दस हजार पेसो का जुर्माना लगाया जा सकता है।

52. अंत में, न्यूजीलैंड में बाल यौन शोषण को कमजोर बच्चों अधिनियम 2014 के तहत नियंत्रित किया जाता है, जो किसी बच्चे या युवा व्यक्ति के साथ यौन दुर्व्यवहार के लिए निर्दिष्ट अपराध निर्धारित करता है। 15 हालाँकि, बाल यौन शोषण के लिए कोई अनिवार्य रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ संगठनों के पास अपने कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य रिपोर्टिंग नीति है।16

53. दुनिया भर में अनिवार्य रिपोर्टिंग से संबंधित कानूनों और इसके साथ जुड़े विभिन्न दंडात्मक परिणामों का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि ऐसे प्रावधान बाल यौन शोषण के विरुद्ध रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं, न कि पीड़ित को दण्डित करने के लिए, जो दुर्भाग्यवश घरेलू हिंसा वाले घर में कभी-कभी अविभाज्य होता है। बाल यौन शोषण के संबंध में अनिवार्य रिपोर्टिंग कानून, बच्चों के विरुद्ध दुर्व्यवहार को रोकने के इरादे से

बनाए गए हैं। जहां जटिल भ्रष्ट आचरण शामिल हो, वहां कोई सीधा-सादा फार्मूला नहीं हो सकता है और जैसा कि वर्तमान मामले में है, अभियोक्त्री के साथ-साथ स्वयं याचिकाकर्ता को भी अभियुक्त व्यक्ति से खतरा था।

<u>निष्कर्ष</u>

54. उपर्युक्त चर्चा के माध्यम से, इस न्यायालय ने बाल यौन शोषण की अनिवार्य रिपोर्टिंग से संबंधित कानून और पोक्सो अधिनियम की धारा 19 और 21 को शामिल करने के पीछे के औचित्य पर विचार करने का प्रयास किया है।

55. इसके आलोक में, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 21 पोक्सो के तहत आरोप लगाने से न केवल याचिकाकर्ता के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होगा, जो स्वयं एक पीड़ित है, बल्कि अभियोक्त्री के लिए भी, जो पूरी तरह से अपने समर्थन के लिए अपनी मां/याचिकाकर्ता पर निर्भर है।

56. तदनुसार, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी जाती है तथा उसका निपटान किया जाता है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध धारा 21 पोक्सो के अंतर्गत विरचित किए गए आरोप अपास्त किए जाते हैं। मुख्य अभियुक्त यानी पति के विरूद्ध कानून के अनुसार विचारण आगे बढ़ेगा।

57. लंबित आवेदन ***आप.वि.आ. 20393/2024*** का भी निपटान कर दिया गया है।

58. निर्णय इस न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

न्या. अनीश दयाल

11 सितम्बर, 2024/आरके/एससी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*